वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", अमर उजाला, हिन्दुस्तान,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

उमर उजाला–दि0 08.11.2024

एयरपोर्ट के 20 किमी तक भवनों की ऊंचाई के लिए 92-192 मी. की लिमिट

कलर कोड जोन मैप के अनुसार कराएंगे निर्माण, वीडीए से लेनी होगी अनुमति

गुंजन श्रीवास्तव

वाराणसी। वीडीए ने बाबतपुर एयरपोर्ट से 20 किमी दायरे में बनने वाले नए मकानों और हाईराइज भवनों की ऊंचाई 192 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए कलर कोड जोन मैप तैयार किया गया है। कुल सात कैटेगरी बनाई गई है। इनमें छह एरिया में निर्माण की ऊंचाई तय की गई है। जबकि सातवीं कैटेगरी में निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पुराने निर्माण की ऊंचाई को नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालन के संरक्षण के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत कम कराया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत वीडीए और एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी हर हफ्ते क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान जिन मकानों और भवनों की ऊंचाई अधिक होगी उसे चिह्नित किया जाएगा। बीते एक माह में सर्वे के दौरान 15 भवन और 4 मोबाइल टावरों को चिह्नित किया गया है। इनकी ऊंचाई मानक से अधिक है। इसे कम करने के लिए

वीडीए ने नोटिस दिया है। इनमें से दो भवन स्वामियों ने अपने मकान की ऊंचाई को कम कर दिया है। जनता की सुविधा के लिए भारतीय विमानपत्तन की ओर से एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे का कलर कोड जोन मैप तैयार किया गया है। जो वीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

"एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में होने वाले निर्माण की ऊंचाई तय की गई है। इसके लिए कलर कोड जोन मैप वीडीए की वेबसाइट पर है। कुछ इलाकों में निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति के निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. वेद प्रकाश मिश्र, सचिव, वीडीए

20 किमी दायरे के कलर मैप में मकान व भवनों की ऊंचाई

192	मीटर ऊंचाई	ग्रीन कलर एरिया
152	मीटर ऊंचाई	गुलाबी कलर एरिया
122	मीटर ऊंचाई	गोल्डेन कलर एरिया
112	मीटर ऊंचाई	लाइट ग्रीन कलर एरिया
102	मीटर ऊंचाई	ब्लू कलर एरिया
92	मीटर ऊंचाई	पर्पल कलर एरिया

हिन्दुस्तान–दि0 08.11.2024

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण किये सील

वाराणसी(एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत राजीव सिंह द्वारा दयाल टावर, दुर्गाकुंड के सामने बिना नक्शा पास कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की निगरानी में सौंप दिया गया।

नोटिस के बाद नहीं रोका निर्माण तो सील कर थाने की निगरानी में सौंपा

वहीं दूसरी तरफ जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। नगवा वार्ड के अन्तर्गत प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इंटरप्राइजेज द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की निगरानी में सौंप दिया गया। इसी प्रकार जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। सारनाथ के अंतर्गत मणिकांत उपाध्याय, बेलवाबाबा लगभग 350 वर्गमीटर में तथा प्रेम प्रकाश दूबे, गोइठहा बेलवाबाबा में लगभग 70 वर्गमीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना सारनाथ की निगरानी में सौंप दिया गया।